[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

चला है कि इस दल को खोजने के लिए तमिलनाडु की पुलिस बिहार और नेपाल की पुलिस के सहयोग से जांच कर रही है किन्तु अभी तक पर्यटकों के उस दल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

मान्यवर, यह दो सौ व्यक्तियों के जीवन मरण का प्रश्न है और एक बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह किसी केन्द्रीय एजेन्सी के द्वारा इस दल के सदस्यों को ढूंढने के लिए तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करे और सही स्थिति की जांच करके बताये कि इसके पीछे किन तत्वों का हाथ है और यह दो सौ पर्यटकों का दल किस स्थान पर और कैसे लापता हुआ।

(viii) NEED FOR IMPOSITION OF RESTRICTIONS ON POSSESSION OF ARMS BY PEOPLE IN THE COUNTRY.

श्री राम लाल राही (सिसरिख) : श्रीमन्, आयुध एवं आग्नेय अस्त्र भय के प्रतीक हैं। ज्यों-ज्यों इनका विकास एवं फैलाव हो रहा है, निरन्तर प्राणीमात्र भय, आतंक एवं शोषण का शिकार होता रहा है। सामन्ती युग में सामन्त आग्नेय अस्त्रों की बदौलत ही सर्वसाधारण को दासता के शिकंजे में जकड़े थे। क्योंकि जन साधारण की यह विनाशकारी अस्त्र पहुँच के बाहर थे। आज के इस पूंजीवादी युग में भी इन्हीं की बदौलत सर्वसाधारण शोषण व अत्याचार का शिकार है।

ज्यों-ज्यों आग्नेय अस्त्र एवं आयुध भारत भूखण्ड के ग्रामीण अंचलों तक फैलते जा रहे हैं, जघन्य अपराधों को जन्मते व बढ़ाते जा रहे हैं। निरन्तर भय, आतंक और तनाव का वातावरण बनता जा रहा है, जहां आग्नेय अस्त्र प्राणीमात्र के लिये घातक एवं विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं, वहीं जाने या अन्जाने इन्हीं के कारण कानून के माध्यम से लोग मृत्यु दण्ड के शिकार होते जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल ने विगत वर्षों में मनुष्य के जीने के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्राण दण्ड देने की व्यवस्था के वैधानिक अधिकार को समाप्त करने के लिए दुनियां के विभिन्न देशों में आवाज लगाई है और लिए गये निर्णय को अमली रूप देने के लिए भारत सहित अन्य देशों से आग्रह किया है। ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल का यह निर्णय तर्क एवं न्यायसंगत तथा मानव मात्र के लिए महत्वपूर्ण है। परन्तु प्राण दण्ड देने के कारण कहां से उत्पन्न होते हैं, यदि इस पर विचार किया जाय तो निश्चय ही आयुध एवं आग्नेय अस्त्रों तथा ऐसे प्राणघातक अस्त्र जो सामन्ती एवं शोषण मनोवृत्ति के प्रतीक हैं इनके विवरण पर नियन्त्रण लगाने और बितरित किये गये आग्नेय अस्त्रों को वापस लिये जाने पर गम्भीरता से विचार कर ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी। मेरी राय में सर्वसाधारण को शोषण, अन्याय, भय और आतंक से यदि मुक्त कराना है, तो इसे सरकारी क्षेत्रों के सीमित हाथों में ही रखने पर विचार करना होगा।

भारतीय गणराज्य के विभिन्न राज्यों में लगभग तीन-चार दशकों में ज्यों-ज्यों आग्नेय अस्त्र वैधानिक रूप से बितरित होते रहे हैं वहीं अवांछनीय तत्वों में भी इनका विकास व विस्तार अबाध गति से हुआ है और उसी के अनुपात में प्राणीमात्र का विनाश एवं जघन्य अपराधों का विकास होता रहा है। आज यदि जघन्य अपराधों में अपार वृद्धि हुई है और जन-जीवन नष्ट हो रहा है, लोग भयभीत हैं, तो इसका

कारण भारतीय गणराज्य में निरन्तर जनता में आग्नेय अस्त्रों का वितरण किया जाना है ।

सरकार यदि चाहती है कि अपराधों में कमी हो भय द आंतक का वातावरण समाप्त हो, शोषणकारी शक्तियां निर्मूल हों, तो अविलम्ब आग्नेय अस्त्रों एवं आयुधों के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये प्रभावकारी कदम उठावें और आयुध अधिनियम को संशोधित करें ताकि केवल आग्नेय अस्त्र सुरक्षापन्तियों के हाथों आरक्षी क्षेत्रों में ही सीमित रहें, एवं अवैधानिक रूप से फैलने वाले आग्नेय अस्त्रों पर रोक लगे व पकड़ हो सके ।

12.33 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1982-83 (*contd.*)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS – *Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will not take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs. I would like to announce that the Minister of State for Home Affairs will intervene in the debate at 3 p.m. and the Minister of Home Affairs will reply to the debate at 5.15 p.m. Now Shri Godil Prasad Anuragi will continue his speech. Since he has already taken 9 minutes, he is entitled to take another one or two minutes.

श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह-मंत्री का ध्यान केस्तरा कांड की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । 7-1-82 को हरिजनों के घर में वहां के रावतों ने रात को जाकर आग लदा दी । वे लोग रात को वहां पर सोना बाई और देवन्तीन बाई की इज्जत लूटने की नियत से घुसे थे । वहां पर उन्होंने आग लगा दी । सोना बाई और देवन्तीन बाई वहां से भाग निकलीं और नांदघाट थाने में रिपोर्ट के लिये पहुँचीं । उनके घर में जो रावत लोग घुसे हुए थे वह उनके 8 बोरा धान और 200 रुपये लेकर आये । इस घटना की रिपोर्ट के लिये जिस समय सोना बाई और देवन्तीन बाई नांदघाट में आई तो वहां के थानेदार **जी और हवलदार **ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और उनको बुरी-बुरी गालियां दीं । अन्त में सोना बाई और देवन्तीबाई ने निवेदन किया कि महाराज हमको घर पहुँचाने के लिये कोई कोतवाल या पुलिस दे दीजिये । उस समय **ने यह कहा कि **मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा । इस बात को सुनकर रोते हुए देवन्तीन बाई और सोना बाई अपने पति हेमप्रसाद और जमुना प्रसाद के पास आई और उनको सारी बात बताई । इसके बाद** हवलदार 3 दिन के बाद वहां पहुँचा । उस समय वहां पर गंगा प्रसाद, जमुना प्रसाद और देरहू प्रसाद उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि हमारी धर्मपत्नी को आपने** कहा था,** उस समय ** ने कहा कि तुमको मैं कुछ दिन के बाद गर्दन कटवा दूंगा ।

इसका परिणाम क्या निकला कि 24-1-82 को वहां के रावतों से सांठ-गांठ कर के केदार सतनामी के घर चढ़ाई की गई । चढ़ाई के समय उनको ललकारा गया कि आओ, आज तुमको हम मारने आये हैं । ऐसा कहते हुए वहां के ** आदि ने घातक हथियारों से गंगा प्रसाद पिता केदार, हेम प्रसाद वल्द गंगाप्रसाद और जमुना प्रसाद

**Expunged as ordered by the Chair.